राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटे
(भारत सरकार का -
मिनिरत्न व
बीज भवन, पूसा परिः
नई दिल्ल -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dUnh; jkT; QkeZ ljnkjx<+ ¼jkt-
½
फक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office) Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com

क्रमांक– के.रा.फा. / सर / एस0पी0ओ0 / विधायन / 2014–15 दिनांक – 07 मार्च 2015

fufonk lwpuk

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़, जिला– श्रीगंगानगर (राज.) पर रबी 2014–15 व जायद / खरीफ 2015 में विधायन संयंत्र 20,201 एवं 238 पर लगभग 80,000.00 क्वि. रॉ–बीज के विधायन व पैकिंग कार्य के लिए अनुभवी ठेकेदारों से मोहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है, निविदा पत्र रु. 100 / – (रुपये सौ मात्र) में दिनांक 06.04.2015 को दोपहर के 12.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है । टेण्डर फार्म मय धरोहर राषि 30,000 / – (रुपये तीस हजार मात्र) डिमांड ड्राफ्ट के रुप में जो कि " राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सरदारगढ़" के नाम देय हो, फार्म खजांची के पास जमा कराने की अन्तिम तिथि 06.04.2015 को अपरान्ह 1.00 बजे तक है। निविदा उसी दिन निविदादाताओं की उपस्थिति में दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी। निविदाओं से उचित दरें प्राप्त न होने की दषा में निविदाये पुनः दिनांक 13.04.2015 को ली जायेगी, जो उसी दिन दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी। कार्य के नियम व शर्तें अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है। निविदादाता को अपना PAN No. की छाया प्रति, कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र एवं स्थायी निवास पते का प्रमाण–पत्र निविदा के साथ सलंग्न करना होगा। उपरोक्त निविदा को NSC Website (www.indiaseeds.com) पर देखा जा सकता है।

प्रबंधक (उत्पादन) बीज
कृते निदेषक

V.Mj Qke

jch 2014&15] tk;n@[kjhQ 2015

क्र.सं.	विधायन कार्य	पैकिंग साइज	दर प्रति क्विंटल (रुपये)
1	jk&lhM dk fo/kk;u dk dk;l djuk– जिसमें रॉ सीड की बोरी चट्ठे से उठाकर फीडिंग स्थल पर डालना या ट्रक/ट्रॉली में लोड करके फीडिंग स्थल पर डालना, फीडिंग स्थल से रॉ–सीड को एलीवेटर में डालना, प्रोसेसिंग मशीन से निकाले गये बीज की बोरियों पर मार्का/बुकरम का लेबल लगाकर, भरना, तोलना एवं सिलना। सीड का उसी स्थान पर या अन्य गोदाम में ट्रक/ट्रॉली में लोड करके बताये गये स्थान पर चट्टा लगाना तथा अण्डर साइज को बैग में भरकर तोलकर सिलना, ट्रक/ट्रॉली में लोड करना, गोदाम में या अन्य जगह पर चट्टा लगाकर तिरपाल से ढकना इत्यादि।	20–50 किग्रा	
2	vyx ls xfoVh lsijsVj ls xfMx djuk– जिसमें क्र.सं. 1 के सभी कार्य सम्मिलित है। ग्रेविटी सेपरेटर से निकले अण्डर साइज को आवष्यकतानुसार पुनः ग्रेविटी सेपरेटर पर चलाना।	20–50 किग्रा	
3	cht dh iSfdx dk dk;l djuk%& जिसमें बीज की बोरियों को लोड करके दूसरे गोदाम में ले जाना या बीज की बोरियों को चट्टे से उठाकर दूसरी जगह रखना, बोरी खोलना, विभिन्न साईज की थैलियों पर रबड़ की मोहरों से मार्का लगाना या मार्कर कलम से लिखना। रबड़ की मोहर से टैग, लेबल बनाना। बीज को विभिन्न साईज की थैलियों में भरना, तौलना, थैलियों में लीफलेट, कल्चर तथा दवा की पुड़िया डालना। टैग, लेबल मिलाकर थैलियों को हटाना, बीज की थैलियों में सील लगाना, सील प्लायर से दबाना। छोटी थैलियों को बड़ी बोरी में भरना, सिलाई करना तथा ट्रक/ट्रॉली में लोड करके दूसरे गोदाम में ले जाकर चट्टा लगाना या उसी स्थान पर चट्टा लगाना।	01 किग्रा से कम 01–05 किग्रा 06–10 किग्रा 11–20 किग्रा 21–40 किग्रा	
4	,Mokl iSfdx ¼vfxe iSfdx½ djuk %& जिसमें रॉ–सीड के विधायन के साथ–साथ आवश्यकतानुसार सीधा ही पैक करना जिसमें क्रम सं. 01 व 02 के सभी कार्य भी सम्मिलित है।	20–40 किग्रा	
5	Lopkfyr iSfdx e'khu ls iSfdx djuk%&	01 किग्रा से कम 01–10 किग्रा 11–40 किग्रा	
6	vyx ls ycy@VSx cukuk rFkk Fkfy;ka vFkok ckfj;ka ij ekdkl yxkuk vFkok gkFk ls fy[kuk	टैग प्रति हजार लेबल प्रति हजार थैली/बोरी प्रति हजार	
7	Qsy cht dk iu% fo/kk;u djuk%& जिसमें क्र.सं. 01 व 02 के सभी कार्य सम्मिलित है।	20–50 किग्रा	

क.सं.	विधायन कार्य	पैकिंग साइज	दर प्रति क्विंटल (रुपये)
8	jhoSyhMs'ku dk dk;Z djuk& जिसमें छोटी थैलियों को बोरी में से निकालकर हर थैली के टेग पर रीवेलीडेषन की मोहर लगाना तथा प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद फिर से बोरी में भरना, सिलना तथा चट्ठा लगाना या 10 से 40 किग्रा के बैग का चट्टा लगाना, टेग पर रीवेलीडेशन की मोहर लगाना तथा प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद फिर से चट्टा लगाना।	01 किग्रा से कम 01–05 किग्रा 06–10 किग्रा 11–20 किग्रा 21–40 किग्रा	
9	vyx ls yksfMax vFkok vuyksfMax djuk& फार्म की ट्रॉली अथवा ट्रक में लोडिंग करना या किसी भी गोदाम में अनलोडिंग कर चट्टा लगाना। ये दरें विपणन विभाग के लिए मान्य होगी।	20–50 किग्रा	
10	vyx ls pV~Vk yxkuk& जिसमें बिना लोडिंग या अनलोडिंग कर पीठ से चट्टा लगाना।	20–50 किग्रा	
11	खाली बोरियों का 25–25 की संख्या में बण्डल बनाकर बताये गये स्थान पर चट्टा लगाना।	20–50 किग्रा	
12	cht mipkfjr djuk& अः– हाथ द्वारा बीज उपचारित करना। बः– मशीन द्वारा बीज उपचारित करना।	 प्रति क्विंटल प्रति क्विंटल	
13	fo/kk;u dUnz ls fudys dpjs dk gkFk ls lQkbZ djuk& जिसमें चट्टा तोड़ना, बोरियों को खोलना, आवश्यकतानुसार फार्म के ट्रैक्टर से व्हील/थ्रेसिंग के बाद साफ करके बोरियों में भरकर तुलाई करके, सिलाई के बाद लोड कर बताये गये स्थान पर चट्टा लगाना।	20–50 किग्रा	
14	06 ls 80 xzke rd nok dh iqfM+;k cukuk& जिसमें प्लास्टिक की थैलियों को खोलकर आवष्यकतानुसार दवा भरकर धागे से बांधना।	प्रति पुड़िया	
15	Likbjy e'khu ls lhM dk fudkyuk& जिसमें सीड को गोदाम से ट्रक/ट्रॉली में लोड कर या उसी स्थान से स्पाइरल मशीन पर डालना, स्पाइरल मशीन से सीड को निकालना, स्टेण्डर्ड बैग बनाकर तौलना, सिलना, उसी स्थान पर या ट्रक/ट्राली में लोड करके अन्य गोदाम में चट्टा लगाना तथा स्पाइरल मशीन से निकले खरपतवार बीज/ अण्डर साइज को बोरियों में भरकर, तौलकर सिलना, ट्रक या ट्रॉली में लोड करके बताये गये स्थान पर चट्टा लगाना।	20–50 किग्रा	
16	cYd iSfdax dk dk;Z djuk& जिसमें बोरियों को ट्रक/ट्राली में लोड करके दूसरी जगह ले जाना, हर बैग में टैग सिलना फिर ट्राली में लोड कर गोदाम में ले जाकर चट्टा लगाना।	20–50 किग्रा	
17	ekckbZy lykbV ls v.Mj lkbt@cht dh lQkbZ djuk& जिसमें क0सं0 11 के सभी कार्य सम्मिलित है।	20–50 किग्रा	
18	म्षीन द्वारा बोरियों की सफाई करना जिसमें 25–25 के बण्डल बनाकर बताये गये स्थान पर चट्टा लगाना।	प्रति बण्डल (25)	
19	प्लांट सफाई, सेम्पल आदि निकालना एवं अन्य कार्य हेतु श्रमिक उपल्बध कराना	दर प्रति मानवदिवस	
20	LVhfpax ¼flykbZ½ dk dk;Z djuk– विधायित बीज को पैकिंग के बाद सिलाई का कार्य दिये गये साइज में सिलाई मषीन द्वारा करना होगा।	01 किग्रा से कम 01–05 किग्रा 06–10 किग्रा 11–20 किग्रा 21–40 किग्रा	

ikVhZ ds gLrk{kj&------------------------------------

Bsdsnkj dk uke&-------------------------------------

firk dk uke&---

xkao o iksLV&---

ftyk&--

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटे
(भारत सरकार का -
मिनिरत्न व
बीज भवन, पूसा परिः
नई दिल्ल -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dUnh; jkT; Qke] ljnkjx< ¼jkt- ½

फक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office) Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com

fo/kk;u l;= ij iYynkjh dk;Z dh fu;e o 'krsZ

1. विधायन/पैकिंग कार्य में सम्मिलित सभी कार्य की दर रॉ बीज/पैक बीज पर ही देय होगी। निविदादाता को धरोहर राशि रूपये 30,000/– (रूपये तीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि "राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड", सरदारगढ के नाम देय हो, फार्म खजांन्ची के पास जमा करवानी होगी।
2. बीज की किस्म बदलने से पूर्व मशीन के आस–पास व गोदाम के अन्दर से हर दाने को साफ करवाना होगा, जिसका भुगतान अलग से देय नहीं होगा।
3. बीज विधायन केन्द्र के बाहर ब्लोअर से निकले कचरे को साथ–साथ हटाकर, टूटा हुआ दाना बोरियों में भरकर ग्रेड बनाकर सीलकर दूसरे गोदाम में रखना होगा, जिसका भुगतान अलग से देय नहीं होगा।
4. खाली बोरियों, कट्टों व थैलियों को अच्छी तरह झाड़कर, पलटकर 25–25 के बण्डल बनाकर गोदाम में रोजाना रखना होगा।
5. ठेकेदार व उसके मजदूरों द्वारा चोरी, मारपीट जैसी हरकत के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
6. मजदूरों की कमी के कारण यदि किसी भी कार्य को फार्म के मजदूरों से करवाना पड़ा या किसी अन्य ठेकेदार से ज्यादा दर पर करवाना पड़ा तो उसका पैसा भी ठेकेदार को देना होगा। यह पैसा ठेकेदार के बकाया बिल या अग्रिम धरोहर राशि से काट लिया जायेगा।
7. प्रोसेसिंग प्लाण्ट जरूरत पड़ने पर तीन पारियों में 24 घण्टे चलाना होगा। इसके लिये कम से कम 25 मजदूर प्रतिदिन हर हालत में रखने होगें अन्यथा फार्म अपने मजदूरों से शिफ्ट चलाने को बाध्य होगा और इन मजदूरों को वेतन का भुगतान ठेकेदार के बिल से काट कर किया जायेगा।
8. मजदूरों को लाना व समय पर कार्य करवाने की पूरी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
9. काम के समय दिन या रात को ठेकेदार के मजदूर फार्म की बोरियों, कट्टों या थैलियों को सोने के लिये बिल्कुल प्रयोग नहीं करेगें।
10. ठेकेदार को काम के समय कार्यस्थल पर हमेशा मौजुद रहना होगा।
11. किसी कारणवशः भुगतान मिलने में देरी होती है, तो ऐसे हालात में ठेकेदार को कार्य जारी रखना होगा।
12. मजदूरों को पर्याप्त संख्या में कार्य के दौरान, प्लाण्ट पर उपलब्ध रहना होगा।
13. बीज व अण्डर साईज की तुलाई सही व निश्चित मात्रा के अनुसार होनी चाहिये अन्यथा किसी भी बोरी, कट्टे व थैली को तोलकर चैक किया जा सकता है और अगर तोल सही न मिला तो पूरा का पूरा लॉट दूबारा बिना भुगतान के तोलना होगा।

yxkrkj i"B 2@&

14. दस टांकों के साथ मजबूती से सूतली से सीड एवं नॉन–सीड की बोरियों को सही ढंग से सिलना होगा व बीज को बिखरने से बचाना होगा।
15. ट्राली व ट्रक में सीड, नॉन सीड को भरते व खाली करते समय बीज को बिखरने से बचाना होगा।
16. तिरपाल, कैरेट, पैकिंग का सामान गोदाम से ठेकेदार को अपने ही मजदूरों से मंगवाना होगा।
17. छोटे बच्चों व शराबी मजदूरों को प्लाण्ट के अन्दर लाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है।
18. प्लाण्ट प्रभारी, षिफ्ट प्रभारी, मैकेनिक, हैल्पर या अन्य फार्म के कर्मचारी/अधिकारी व फार्म पर आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार करने पर ठेकेदार का ठेका रद्द करके अग्रिम धरोहर राषि जब्त कर ली जायेगी।
19. ठेकेदार व उसके मजदूर प्लान्ट या गोदाम में बीड़ी, सिगरेट नहीं पीयेगें तथा ज्वलनशील पदार्थ अन्दर नहीं लायेगें।
20. प्रतिदिन काम की समाप्ति पर गोदाम या प्लान्ट के शटर बन्द करने होंगे।
21. माल उतारते व लादते समय कटे व खुले कट्टे, बोरियों को ठेकेदार को ही अपने मजदूरों से दुबारा सीलकर, लोड करना होगा।
22. ठेकेदार के मजदूरों द्वारा हुक से बोरियों, कट्टों व थैलियों के फटने तथा चट्टे के ऊपर से बोरी गिर जाने के कारण फट जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार के बिल से काट कर की जायेगी।
23. ठेकेदार को कार्य पर लगे मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान हर हालत में करना होगा। किसी भी शिकायत का जिम्मेदार ठेकेदार ही होगा।
24. विधायन संयंत्रों पर प्रतिदिन कम से कम 500 – 800 क्विं. रॉ बीज की ग्रेडिंग करने हेतु श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे।
25. ठेकेदार को ठेका मिलने के बाद रूपये 100/– के स्टाम्प पेपर पर निदेशक महोदय, केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राजस्थान) से अनुबन्ध करना होगा।
26. प्लान्ट पर कार्य के दौरान मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
27. ठेकेदार को अपना PAN नम्बर देना होगा तथा कार्य के अनुसार आयकर की कटौती बिलों में से की जायेगी।
28. विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय श्रीमान् निदेषक महोदय, केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राज.) का ही सर्वमान्य होगा।
29. प्रमाणीकरण संस्था के क्रॉप कलेण्डर में दी गयी समयावधि के अन्दर हर हाल में कार्य समाप्त करना होगा।
30. विधायन/पैकिंग का कोई भी कार्य बिना षिफ्ट इंचार्ज अथवा विधायन प्रभारी के संज्ञान में लाये बिना यदि किया जाता है तो ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सकती है।
31. ठेकेदार को अपने स्थायी निवास का प्रमाण–पत्र एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा।

प्रबंधक (उत्पादन) बीज
कृते प्रभारी निदेषक